





**जे.डी.ए. ज़ोन-7 की गैर-अनुमोदित योजना में स्थित
आवासीय भूखंड संख्या-6, अर्पित नगर वैशालीनगर
पर बन रहा यह व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स
वैध है या अवैध?**

आवासीय भूखंड संख्या 06, अर्पित नगर, वैशालीनगर पर बन रहा है यह काम्प्लेक्स, जे.डी.ए. रिकॉर्ड के अनुसार यह योजना गैरानुमोदित है अतएव संभवतया अवैध की श्रेणी में आता है। देखना यह है कि जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में आने के बाद वह इसे सील करते हैं अथवा नहीं।





प्रथम सूचना रिपोर्ट

| | | |
|----|--|---|
| 1. | भूखंड का पता | भूखंड संख्या 06, अर्पित नगर वैशालीनगर जयपुर |
| 2. | संभावित गतिविधि | अवैध व्यवसायिक कामप्लेक्स |
| 3. | उल्लंघन की संभावित प्रकृति | बिना सक्षम अनुमति, बिना नक्शे पास करवाए, बिना भवन विनियमों और पार्किंग फेसेलिटी के बन रहा अवैध कामप्लेक्स |
| 4. | सम्बंधित ज़ोन | जे.डी.ए. ज़ोन-7 |
| 5. | कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर) | श्री सुरेश यादव |
| 6. | सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक | 01/05/2021 |

जवाब मांगते सवाल?

- क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
- क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
- क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
- क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
- क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
- यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन कौन से अधिकारी है?
- क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
- क्या इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है? क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रैल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस

पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनायी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी।